ARVAN Page No. Date / /

सार्वभौमिकता और शिक्षा

(UNIVERSALISM AND EDUCATION)

परिचय :- शिक्षा का सार्वभौमीकरण राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, राजनीतिक जागरूकता पैदा करने के लिए, सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए, राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता के भाव का विकास करने के लिए और अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना को विकसित करने के लिए आवश्यक है। भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की महती आवश्यकता है। यह व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र की प्रगति का मूलाधार है। इसकी अवहेलना के कारण ही भारत का पतन हुआ और वह सहस्त्रों का गुलाम बना रहा, और स्वामी विवेकानन्द के यह शब्द कि जन-साधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है, और हमारे पतन के कारणों में से एक है।

इसी प्रकार रवीन्द्रनाथ टैगोर एवं

कृष्णमूर्ति के विचारों को भी जानते हुए यह कह सकते हैं कि -

रवीन्द्रनाथ टैगोर एक महान ब्रह्मवादी थे। उनकी शिक्षा आत्मज्ञान पर आधारित थी। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रेम और सार्वभौमिकता पर बल दिया। वे बालक की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। उनका विचार है कि विद्यार्थी को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक रूप से सर्वांगीण होना चाहिए, ताकि शिक्षा के किसी भी क्षेत्र से वे सार्वभौमिकता प्राप्त कर सकें।

कृष्णमूर्ति के विचारों के अनुसार शिक्षा बालक में नवचेतना और उद्यमिता का विकास करती है। बालक को सीखने की कला से अवगत होना चाहिए ताकि उनका सार्वभौमिक विकास हो सके। सार्वभौमिक में बालक का शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्यों एवं व्यावसायिक आदि का विकास होगा तथा एक नवीन विश्व का निर्माण कर सकेगा।

धर्म निरपेक्षवाद और शिक्षा
(SECULARISM AND EDUCATION)

परिचय :- धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य धर्म विहीन होना नहीं, बल्कि सभी धर्मों के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को महत्व देते हुए उनके प्रति समान आदर व्यक्त करना है।

निरपेक्षता का सीधा अर्थ यही है कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं के प्रति किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना।

यहाँ यौक्तिकवाद एवं उपयोगवाद के परिणामस्वरूप धर्म विरोधी धारणा के रूप में धर्म निरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ। पाश्चात्य विश्व सम्पर्क में आकर भारतवासी इस धारणा के प्रति आकृष्ट हुए। इसका कारण उनका यह विश्वास था कि धर्म-निरपेक्षता द्वारा धार्मिक गुटबंदियों को समाप्त करके देश को स्वतंत्रता संग्राम के लिए शक्तिशाली बनाया जा सकता था। अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के कर्णधारों ने विभिन्न धर्मावलम्बियों के जीवन को शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण बनाने के

विचार से प्रेरित होकर, सार्वजनिक जीवन में धर्म-निरपेक्षता की नीति की उद्घोषणा की।

धर्म निरपेक्षता की नीति की प्रमुख विशेषताओं को डामले (Damle) ने इस प्रकार व्यक्त किया है -

(1) वैज्ञानिक प्रवृत्ति
(2) विधि का शासन
(3) नैतिकता की प्राप्ति
(4) ज्ञान एवं विवेकशीलता
(5) सार्वभौमिकता एवं जाति, रक्त संबंध, प्रदेश, धर्म आदि से संबंधित विशिष्ट लगाव से मुक्ति।

परम्परागत एवं नवीन मूल्यों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन दो प्रकार के मूल्यों में आपस में टकराव है। इस कारण वर्तमान समय में भारत वासी दो तरह के समाजों में रह रहे हैं। एक समाज तो स्थायी, परम्परागत धर्म प्रधान, जाति प्रधान एवं संयुक्त परिवार केन्द्रित है, जबकि दूसरा पाश्चात्यीकृत, व्यक्तिवाद, सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर विकेन्

नवीन जगत है। अतः आज जन समाज अपने दैनिक जीवन के एक जगत से दूसरे जगत पर विचरण करते दिखाई पड़ रहा है, परन्तु इतना कहना संभवतः उचित ही होगा कि भले ही परम्परागत मूल्यों का हम पूर्णरूपेण परित्याग नहीं कर पा रहे हैं, परन्तु नवीन मूल्यों को सांसारिक जीवन की सफलता की कुंजी मानकर उनका प्रतिष्ठापन अवश्य कर रहे हैं।

धर्म निरपेक्ष समाज (SECULAR SOCIETY)

'धर्म निरपेक्षता' का शाब्दिक अर्थ तो धर्म से निरपेक्ष होने अर्थात् धर्म से ~~विरपेक्ष~~ कोई संबंध नहीं रखने से है। अतः धर्म निरपेक्ष समाज में धर्म से का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा कि साम्यवादी समाजों में है, किन्तु भारत जैसे धर्म-प्राण देश में यह अर्थ संभव ही नहीं हो सकता। भारतीय संविधान में इसका जो अर्थ ग्रहण किया गया है तथा इसके पीछे जो मूल भावना है वह 'सर्व धर्म समभाव' और 'सर्व धर्म सद्भाव' की है।

वास्तव में 'धर्म निरपेक्षता' की अवधारणा भारतीय संविधान में प्रयुक्त

पन्थनिरपेक्ष - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता भी पहले से अन्तर्निहित है। 42वें संशोधन द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार धर्म निरपेक्ष राज्य से हमारा तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य-धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करता है। धर्म निरपेक्षता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने, तदनुरूप आचरण करने एवं उसका प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। इस धर्म निरपेक्ष समाज की व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं - वे इस प्रकार हैं -

1) सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार (अनु. 25)

2) धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता (अनु.

- धार्मिक कार्यों की प्रबन्ध पूर्ति हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचा

पदावली - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता में पहले ही से अन्तर्निहित है। 42वें संशोधन द्वारा उसे स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार धर्म निरपेक्ष राज्य से हमारा तात्पर्य ऐसे राज्य से है, किसी धर्म विशेष को 'राज्य-धर्म' के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करता है, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है तथा उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। धर्म निरपेक्षता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने तदनुरूप आचरण करने एवं उसका प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता रखता है। इस धर्म निरपेक्ष समाज की व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये है - वे इस प्रकार है -

1) सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार (अनुच्छेद 25)

2) धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)

- धार्मिक कार्यों की ~~प्रबन्ध~~ पूर्ति हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन

- धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करना।
- उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु चल-अचल संपत्ति का अर्जन करना।

3) धर्म विशेष की उन्नति के लिए राज्य द्वारा नहीं लगाना। (अनुच्छेद २७)

4) राज्य पोषित शिक्षा-संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध (अनुच्छेद २८)
- राज्य निधि से पूर्णरूपेण पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।
- राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्यकोष से पोषित शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध (अनुच्छेद २८)
- राज्य-निधि से पूर्णरूपेण पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।
- राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्यकोष से पोषित शिक्षा संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

ARYAN Page No. Date

उपर्युक्त विवेचन से भारतीय धर्म-निरपेक्ष समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित रूप स्पष्ट होती हैं -

1. राज्य किसी धर्म विशेष को आश्रय / संरक्षण प्रदान नहीं करता है।

2. राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखते हुए उनके मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

3. राज्य प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार देता है।

4. राज्य, धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध की स्वतं प्रदान करता है।

5. राज्य, धार्मिक संस्थाओं एवं न्यासों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

6. राज्यकोष से पोषित (राज्यकीय) एवं राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में धार्मिक शि प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

धर्म-निरपेक्षता का शिक्षा से अन्तर्सम्बंध

Inter Relationship of Secularism and Education.

भारत का वर्तमान शैक्षिक ढाँचा अपने विस्तृत लक्ष्यों, पाठ्यचर्या, प्रबुद्ध शिक्षकों व समुचित क्रियाओं के द्वारा एक धर्म निरपेक्ष प्रवृति को प्रदर्शित करता है, जिसका प्रमाण हमें निम्न बिन्दुओं से मिलता है –

- धर्म-निरपेक्ष लक्ष्य
- शैक्षिक संस्थाओं का प्रजातांत्रिक संगठन
- बहुउद्देशीय / बहुपक्षीय पाठ्यक्रम
- विज्ञान शिक्षण
- प्रबुद्ध शिक्षक

इनके द्वारा वर्तमान भारतीय शैक्षिक व्यवस्था देश में ऐसे सामाजिक वातावरण का विकास कर रही है, जिसमे धर्म निरपेक्ष मूल्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया जाता है। धर्म-निरपेक्षता का यह नवीन रूप हमें 'सर्वधर्म समभाव' के आस्था के रूप में व सभी धर्मों को एक समान महत्व देने के रूप में दिखाई देता है। इस आधार पर धर्म-निरपेक्ष शिक्षा की निम्न विशेषताएं

दृष्टिगत होती है -

1) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा के माध्यम से बालक में नैतिक दृष्टिकोण का विकास होता है ऐसी शिक्षा वास्तव में उनके चारित्रिक और नैतिक विकास की आधारशिला होती है तथा इस शिक्षा के माध्यम से उनमें सत्य सहिष्णुता, ईमानदारी, नम्रता, सहानुभूति मानवता, सेवा व त्याग आदि गुणों का विकास होता है, व इन गुणों के फलस्वरूप उनके चरित्र व व्यक्तित्व में निखार आता है।

2) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को गतिशील बनाती है तथा उनमें जीवन के प्रति ऐसे विशाल दृष्टिकोण का विकास करती है जिससे वह अपने स्वार्थों को त्याग कर समाज सेवा में रुचि लेने लगता है। यह शिक्षा उसे जीवन की समस्याओं का दृढ़ता पूर्वक सामना करने के लिए न केवल प्रेरित करती है, वरन् उसे उनका उचित समाधान ढूंढने में भी मदद करती है।

3) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा से एक स्वस्थ बहुलवादी (Pluralistic) दृष्टिकोण का भी

विकास होता है, जो कला, विज्ञान, दर्शन यहाँ तक कि धर्म के विकास में भी सहायक हो और यह बहुलवादी दृष्टिकोण प्रजातंत्र का तो आधार है ही, इसे समन्वयवादी दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है।

4) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा बालकों में स्वतंत्रता भ्रातृभाव तथा सहयोगी जीवन जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। यह शिक्षा प्रजातंत्रीय प्रक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व के विकास पर पर्याप्त बल देती है। इसमें व्यक्ति को मात्र साधन न मानकर साध्य माना जाता है।

5) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, जिससे वे अपने को अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं रूढ़ियों से पृथक रखते हैं। यह शिक्षा उनमें तर्कशीलता, विवेक तथा वस्तुनिष्ठता के गुण विकसित करती है जिससे व्यक्ति सभी बातों पर खुले दिमाग से विचार करने में सक्षम होते हैं तथा उनमें मानवतावादी भावनाओं का

उदय होने लगता है।

6) धर्म-निरपेक्ष शिक्षा व्यक्ति को न
अपनी भौतिक माँगो एवं आवश्यकता
की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील बना
है, वरन् उसे उदार आध्यात्मिक मू
को ग्रहण करने और उन्हें व्यवहार
अपनाने पर भी बल देती है।